कार्यालय, संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें,

क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, परिसर, सीपत रोड, बिलासपुर छ0ग0
Email - jdhsbsp61@gmail.com

क्रमांक / स्था.अवि. / 2025 / 424 बिलासपुर,दिनांक:–28/03/2025

/ / विज्ञापन / /

संचालक,स्वास्थ्य सेवायें इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर के पत्र क्र / स्था.अवि. / 450 / 1459 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 17.12.2024 में दिये गये अनुमति अनुसार एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन अलिपिकीय नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी नियम 2013, 2020 एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण क्रमांक 314 दिनांक 25 जुलाई 2024 सेवा संवर्गो के निम्नांकित रिक्त पदों की खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा ऑफ लाईन के माध्यम से विज्ञापन जारी कर पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी एवं नीचे दर्शित पद हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यार्थियों से दिनांक 04.04.2025 से 19.04.2025 तक (समय सायं 5:30 बजे तक) आफलाईन आवेदन / पंजीकृत डॉक के माध्यम या कार्यालय में सीधे जमा कर पावती प्राप्त करें। व अन्य विस्तृत विवरण हेतु जानकारी जिला बिलासपुर की विभागीय वेबसाईट www.bilaspur.gov.in से प्राप्त कर सकते है।

बिलासपुर संभाग के लिये आरक्षण रोस्टर अनुसार पदवार रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:–

क्र.	पदनाम	कुल रिक्तियों पदों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार में से केवल छ.ग.के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से वर्गवार भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पर				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छ.ग.स्थानीय निवासी नि:शक्तजनों के लिये आरक्षित पद	योग	वेतन मैट्रिक्स	शैक्षणिक योग्यता
01	02	03				04				05				06	07	08	09
		अनारक्षित	अजजा	अजा	अपिव	अनारक्षित	अजजा	अजा	अपिव	अनारक्षित	अजजा	अजा	अपिव				
1	साईकेट्रिक सोशल वर्कर	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05	25300 - 80500 लेवल -06	मनोरोग समाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि एवं मनोरोग सामाजिक कार्य में एम. फिल. उपाधि या मनोविज्ञान मे कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण होना चाहिये।
	योगः–	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05		

सामान्य नियम एवं शर्ते तथा आवश्यक निर्देश:–

1. आवेदन दिनांक को वांछनीय जीवित रोजगार पंजीयन होना आवश्यक है।
2. पद पर आवेदन किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

Scanned with OKEN Scanner

3. **न्युनतम एवं अधिकतम आयु सीमाः—** आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2025 को न्युनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी जारी आदेश/निर्देश, नियम, आदेशानुसार छूट मान्य होगी।

3.1 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में, पत्र क्र 3–2/2015/1–3 दिनांक 30.01.2019 के द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2025 की समाप्ति तक छूट प्रदान की गई है। इस आदेशानुसार सभी प्रवर्ग के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा छूट प्राप्त होगी।

3.2 छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी परन्तु विशेष प्रवर्ग जैसे छत्तीसगढ़ के निवासी अजा, अजजा, अपिव (गैर क्रीमीलेयर), महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन के नियमानुसार छूट मान्य होगी।

3.3 सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–1/2016/1–3/नया रायपुर दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

3.4 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

3.5 विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये अधिकतम आयपुर सीमा में 05 वर्षा की छूट होगी।

4. छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अलिपकीय नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 (संशोधित नियम 11 जून 2020) एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 25 जुलाई 2024 भी लागू होंगे।

5. अभ्यार्थियों द्वारा पद के लिये भर्ती नियम में विहित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि तक पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा।

6. छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र संबंधित को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटीशन (सी) 591/2012, रिट पिटीशन (सी) 592/2012, रिट पिटीशन (सी) 593/2012, रिट पिटीशन (सी) 594/2012 में पारित होने वालें आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश /निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तयों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

8. अजा, अजजा, एवं अ.पि.व. हेतु पद के निर्धारण के संबंध में समय–समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश लागू होगे। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगे।

9. पूर्व में किसी अभ्यार्थी को शासकीय सेवाओं से बर्खास्त किया गया हो तो वे चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। उक्त संबंध में दस्तावेज सत्यापन के समय शपथ पत्र प्रस्तुतत करना अनिवार्य होगा।

10. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत् कर्मचारियों को अपने नियोक्ता का मूल अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र दस्तावेजों के सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा चयन हेतु पात्र नहीं होगें।

11. उक्त पदों हेतु प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी जिसकी वैद्यता मूल चयन सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष तक रहेगी।

12. भर्ती नियम 2013, संशोधित नियम 2020 एवं छ.ग. राजपत्र 25.07.2024 के अनुसार एवं छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क./एफ 1–67/2021/सत्रह/एक नवा रायपुर दिनांक 21.03.2022 में दिये गये निर्देशानुसार प्रावीण्यता सूची का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा।

(1) पद के लिये वाछिंत शैक्षिणिक योग्यता का 85 प्रतिशत अंक। (इंटर्नशिप के अंक को नहीं जोड़ा जावेगा)

(2) छत्तीसगढ़ शासन की स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत् आवेदकों को अनुभव के अधिकतम 15 अंक (03 अंक प्रति पूर्ण वर्ष के मान से अधिकतम 05 वर्ष के लिये) दिये जावेगें । निजी संस्थाओं का अनुभव मान्य होगा।

(2-1) ऐसे अभ्यार्थी जो कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्ति हुये एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने हेतु अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर के आदेश पृ.क.एफ 1/67/2021/सत्रह/एक दिनांक 07.12.2021 में दिये गये ओदशानुसार 10 बोनस अंको का लाभ दिया जावेगा। इस संबंध में सक्षम अधिकारी (केवल जिला स्तर या उससे उच्च पदाधिकारी का प्रमाण पत्र मान्य होगा) द्वारा जारी 06 माह की निरन्तर सेवा का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(2-2) अनुभव अंक व बोनस अंक दोनो सम्मिलित करते हुए अधिकतम 15 अंक ही देय होगा।

(3) अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में हो। अनुभव प्रमाण पत्र की पुष्टि हेतु मूल नियुक्ति आदेश के साथ ही बैंक पासबुक जिसमें वेतन आहरण की पुष्टि हो संलग्न करेंगे।

(4) अनुभव प्रमाण पत्र हेतु अवैतनिक कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इस प्रकार उपरोक्तानुसार (1)+(2)+(2-1)+(2-2)+(3) को जोड़कर प्रावीण्य सूची बनायी जावेगी जिसके आधार पर चयन समिति भर्ती के लिए वरीयता सूची अनुशंसित करेगी।

(5) समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार वरीयता तय की जायेगी अर्थात जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले होगी उसके अनुसार वरीयता उच्च क्रम में रखा जावेगा।

13. प्रावीण्यता सूची के आधार पर संवर्गवार अभ्यर्थीयों को दस्तावेज-सत्यापन हेतु विज्ञापित पद की संख्या के अनुसार निम्न तालिकानुसार अंकित संख्या में पात्र उम्मीदवार को आमंत्रित किया जावेगा।

क्रमांक	विज्ञाप्ति पद की संख्या	दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यथियों की संख्या
01	02	03
1	01 से 10 रिक्त पदो हेतु	01 रिक्त पद के विरूद्ध 10 अभ्यार्थी
2	11 से 50 रिक्त पदो हेतु	01 रिक्त पद के विरूद्ध 05 अभ्यार्थी
3	50 से 100 रिक्त पदो हेतु	01 रिक्त पद के विरूद्ध 03 अभ्यार्थी

15. दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज के निरीक्षण उपरांत पात्र-अपात्र अभ्यार्थियों की सूची जारी की जावेगी एवं दावा आपत्ति के निराकरण उपरांत प्राविण्यता के आधार पर अंतिम चयन सह प्रतिक्षा सूची जारी की जावेगी।

16. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति होगी। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क. एफ1–1/2017/1–3 दिनांक 29.07.2020 के साथ संलग्न (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना क एफ 1–1/2017/1–3 दिनांक 28.07.2020 के तहत किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को प्रथमतः 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा एवं वित विभाग द्वारा जारी आदेश इन नियुक्तियों पर पूर्णतः लागू होगें।

17. अभ्यर्थी के दस्तावेज/प्रमाण पत्र त्रुटि पूर्ण अथवा गलत पाये जाने पर उम्मीदवारी/चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य/गलत पाई जाती है तो बिना किसी पूर्व सूचना के आवेदक की चयन हेतु दावेदारी अमान्य करते हुए संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

18. आवेदक का चयन होने पर पुलिस सत्यापन नियंत्रणकर्ता कार्यालय द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी पाये जाने की स्थिति में बिना कारण बतायें चयन/नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

19. भर्ती के संबंध में आगामी सूचना, निर्देश, आदेश, पात्र–अपात्र सूची, मेरिट सूची तथा भर्ती संबंधी अन्य समस्त जानकारियों हेतु नियुक्तिकर्ता अधिकारी के द्वारा दी जावेगा।

20. उपरोक्त पदों पर केवल ऑफलाईन आवेदन ही स्वीकार होगें **(जो कि रजिस्टर्ड डॉक, स्पीड पोस्ट या कार्यालय)** में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

21. आवेदन करने के पूर्व आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करें तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारित अर्हता /शर्तों को पूर्ण करने पर ही आवेदन करें। आवेदक द्वारा ऑफलाईन आवेदन में चाही गई जानकारी सावधानीपूर्वक एवं ध्यानपूर्वक भरा जावे तथा चाहे गये दस्तावेजों को स्वप्रमाणित कर अनिवार्य रूप से संलग्न कर आवेदन करें, आवेदन में गलत अथवा असत्य जानकारी भरे जाने की स्थिती में संपूर्ण जवाबदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। ।

22. आवेदक का किसी भी प्रकार का अपराधिक प्रकरण होने की स्थिति में आवेदन अमान्य किया जावेगा। आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि किसी भी प्रकार की लंबित प्रकरण होने की स्थिति में चयन के पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय को अनिवार्यतः सूचित करेंगे।

23. ऑफलाइन आवेदन करने के लिये अभ्यार्थी कार्यलय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें बिलासपुर छत्तीसगढ़ में दिनांक 04.04.2025 से 19.04.2025 तक आवेदन पत्र का प्रारूप व अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप एवं अन्य विस्तृत संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते है। **जो कि रजिस्टर्ड डॉक, स्पीड पोस्ट या कार्यालय मे** आफ लाईन आवेदन पत्र दिनांक 04.04.2025 से दिनांक 19.04.2025 तक कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें बिलासपुर में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:30 बजे तक जमा कर पावती प्राप्त करे।

Scanned with OKEN Scanner

24. **निर्वचन–** इस विज्ञापन में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस संबंध में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जायगा एवं **समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।**

(डॉ. सुरेश कुमार तिवारी)
संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेंवायें
बिलासपुर (छ0ग0)

कार्यालय का नाम...

अनुभव प्रमाण पत्र

क्रमांक/............/2025/.......................... ..../दिनांक–00/00/0000

क्रमांक	अभ्यार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	पदस्थापना स्थल	नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	नियुक्तिकर्ता अधिकारी (जिला/उच्च स्तर)	सेवा अवधि		
							वर्ष	माह	दिन
01	02	03	04	05	06	07	08		
1									

अधिकारी का नाम, सील व हस्ताक्षर

टीपः–"अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न होना चाहिये।"

कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, बिलासपुर छ.ग.

साईकेट्रिक सोशल वर्कर हेतु आवेदन पत्र

आवेदन कमांकः–

प्रति

संभागीय संयुक्त संचालक

स्वास्थ्य सेवायें जिला बिलासपुर छ.ग.

फोटो

आवेदित संभाग :– बिलासपुर संभाग

1.	आवेदक का नाम (हिन्दी):– आवेदक का नाम English:–	2.	पिता का नाम (हिन्दी):– पिता का नाम English :–
3.	जन्म की तारीख :–	4.	ईमेल आईडी :–
5.	मोबाइल नंबर :–	6.	छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र है? :–
7.	वर्ग (अनारक्षित / अ.ज.जा. / अजा. / अपिव) :–	8.	लिंग (महिला / पुरूष / ट्रांसजेंडर) :–
9.	क्या आप दिव्यांग श्रेणी के है ?:–		
i-	दिव्यांगता का प्रकार :–	ii-	दिव्यांगता का प्रतिशत :–
10.	क्या आप भूतपूर्व सैनिक है ? :–	11.	क्या कर्तव्यों से संबंधित कोई अपराधिक प्रकरण लेखबद्ध / दर्ज है? :–
12.	पंजयीन तिथि :–	13.	कोरोना महामारी के दौरान छ.ग. शासन के कोविड अस्पताल में कार्य करने का प्रमाण पत्र (न्यूनतम 06 माह) :–

14. पत्र व्यवहार हेतु वर्तमान पताः–

15. स्थाई पताः–

16. शैक्षणिक योग्यता

क्र	परीक्षा का नाम	बोर्ड / वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक (सभी वर्षा का योग)	पूर्णाक (सभी वर्षा का योग)	(प्रतिशत)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

17. यदि आवेदक सेवारत हो या सेवारत रहे हो तो पूरा विवरण भरे :– कुल अनुभव वर्षः– माहः– दिनः–

मैं एतद द्वारा घोषण करता/करती हूँ कि मैने पद हेतु चयन नियमों और निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है, कि इस आवेदन पत्र में मेरे दी गई प्रविष्टियाँ पूर्ण रूप से सही है। यदि कोई जानकारी चयन से पहले या बाद में गलत पायी जाए या अपात्रता का पता चले तो विभाग मेरे विरूद्ध कार्यवाही कर सकता है।

आवेदन पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, हस्ताक्षर के बिना आवेदन जमा करने पर आवेदन को मान्य नही किया जावेगा।

हस्ताक्षर

टीपः– आवेदन रजिस्र्टड डाक/स्पीड पोस्ट या स्वयं कार्यालय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें सीपत रोड सरकण्डा बिलासपुर छ.ग. में दिनांक 04.04.2025 से 19.04.2025 तक शायं 5:30 बजे तक कार्यालयीन समय में ही स्वीकार होगा।

चेक बॉक्सः–

- [ ] 1. 10 वी मार्कशीट की छायाप्रति।
- [ ] 2. 12 वी मार्कशीट की छायाप्रति।
- [ ] 3. मनोरोग सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री की छायाप्रति।
- [ ] 4. एम.फिल. डिग्री की छायाप्रति।
- [ ] 5. आधार कार्ड की छायाप्रति।
- [ ] 6. जाति/निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- [ ] 7. कोविर्ड में कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र